न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 67/2022

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 8/2023
सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 6/2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री खान मोहम्मद खां प्रर्वतन निरीक्षक पीसांगन.

...................**प्रार्थी**

बनाम

1–श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री कॅवरीलाल जैन, निवासी ग्राम मांगलियावास, तहसील पीसांगन जिला अजमेर पुलिस थाना मागलियावास
2–श्री राजकुमार गहलोत उर्फ राजू पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गहलोत निवासी श्रृंगार चंवरी, अजमेर जिला अजमेर पुलिस थाना अलवरगेट
3–श्री प्रदीप गुप्ता पुत्र श्री त्रिलोकचंद गुप्ता, ई–42, मंगोलपुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया फैज–02, नई दिल्ली 1100631
4–श्री सुबे सिंह पुत्र श्री राम सिह निवासी मेनपुरा, सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर
5–श्री कालू उर्फ अनुज जैन पुत्र श्री नरेन्द्र जैन निवासी ग्राम मांगलियावास, तंहसील पीसांगन जिला अजमेर पुलिस थाना मांगलियावास।

.........**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित ;–

1. श्री अब्दुल सादिक प्रर्वतन अधिकारी	**पेराकार सरकार**
2. श्री उत्तम गुरूबक्षानी ऐडवोकेट	**वास्ते अप्रार्थी 1,2,5**
3 श्री कन्हैया	**वास्ते अप्रार्थी 3**

<u>आदेश</u>

दिनांक 02.08.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.08 होटल सहयोग ग्राम मांगलियावास के पास एल.पी.जी. टैंकर से गैस सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग की सूचना पर जिला रसद अधिकारी दिनांक 12.12.2022 को मय प्रवर्तन स्टॉफ, डी.एस.टी पुलिस दल अजमेर मौके पर पहुॅचे। मौके पर एल.पी.जी टैंकर रजिस्ट्रेंशन नम्बर आर.जे 18 जी.बी. 4826 भारत पैट्रोलियम कम्पनी के वाल्व से एक जुगाड यंत्र से जोडकर एक साथ पॉच सिलेण्डरो में गैस भरते पाया गया। टैंकर चालक श्री सुबे सिंह जांच दल को देखकर टैंकर छोडकर मौके से भाग गया। मौके पर उपस्थित श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री कॅवरीलाल जैन ने उक्त स्थान किराये पर लेना एवं एल.पी.जी. टैकर से गैस निकालकर सिलेण्डरो में रिफलिंग करना एवं गैस सिलेण्डरो का विक्रय करने का व्यवसाय पाया गया। इस कार्य में उसका पुत्र कालू उर्फ अनुज जैन भी यह व्यवसाय करता है जो मौके पर जांच दल को देखकर भाग गया। मौके पर राजकुमार गहलोत उर्फ राजू गहलोत निवासी श्रृगांर चंवरी अजमेर एक टैम्पो रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 36 जी.ए 4399 में 26 सिलेण्डर व्यावसायिक श्रेणी के क्षमता 19 किग्रा लेकर श्री नरेन्द्र जैन के पास भरवाने आया। मौके पर एल.पी.जी टैंकर आर.जे.18 जी.बी. 4826 के पास जमीन पर 41 सिलेण्डर रखे पाये गये उक्त टैंकर एवं

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
रीडर
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

सिलेण्डरो के पास एक जुगाड पाईप दो इंच मोटाई का जिसमें एक ओर फ्लैंच व दूसरी ओर पांच रिफलिंग शॉकेट मय वाल्व फिटेड पाया गया तथा एक रिंच पाना एक प्लेटफार्म कान्टा भी रखा पाया गया। मौके पर एक वाहन एसक्रोस आर.जे.01 सीई 9127 पाई गई। वजह सबूत एल पी जी टैंकर आर.जे.18 जीबी 4826, एक टैम्पो रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.36 जी ए 4399, कार आर.जे.01 सीई 9127 एसक्रोस, एक 2 इंच मोटाई का जुगाड पाईप, 2 प्लेटफार्म कांटे, 2 रिंच पाने, 1 गैस भट्टी, 1 इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, 1 फिक्स पाना एवं 1 इलेक्ट्रिक बोर्ड मय केबल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) में राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आने अप्रार्थी संख्या 1,2,3 5 द्वारा जवाब नोटिस प्रस्तुत करने व वाहन स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 व 4 द्वारा कब्जे राज लिये गये एल पी जी टैंकर आर.जे.18 जीबी 4826, एक टैम्पो रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.36 जी ए 4399 को सुपुर्दगीनामे पर छोडने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर उभय पक्षों को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। साथ ही मूल प्रार्थना पत्र पर भी सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 12.12.22 को जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय प्रवर्तन स्टॉफ, एवं डी.एस.टी पुलिस दल अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच 8 होटल सहयोग ग्राम मांगलियावास के पास एल.पी.जी टैंकर से गैस सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच कार्यवाही की गयी जिसमें एक बडा एल.पी.जी. टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.18 जी.बी. 4826 भारत पैट्रोलियम कम्पनी के वाल्व से एक जुगाड यन्त्र से जोडकर एक साथ पॉच सिलेण्डरो में गैस भरते पाया गया। टैंकर चालक सुबे सिंह जॉच दल को देखकर टैंकर छोडकर मौके से भाग गया। मौके पर उपस्थित पाये गए श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री कॅवरीलाल जैन, निवासी मागंलियावास ने यह स्थान किराये पर लेना एवं एल.पी.जी. टैंकर से गैस निकालकर सिलेण्डरो में रिफलिंग करना एवं गैस सिलेण्डरो को विकय करने का व्यवसाय करना पाया। इस कार्य में नरेन्द्र के साथ उसका पुत्र कालू उर्फ अनुज जैन भी यह व्यवसाय करता है जो मौके पर जॉच दल को देखकर भाग गया। वक्त जांच मौके पर राजकुमार गहलोत उर्फ राजू गहलोत निवासी श्रृंगार चंवरी एक टैम्पों रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 36 जी.ए 4399 में 26 सिलेण्डर व्यावसायिक श्रेणी के क्षमता 19 किग्रा लेकर श्री नरेन्द्र जैन के पास भरवाने आया। श्री नरेन्द्र द्वारा प्रति सिलेण्डर 1400/– रूपये में बेचना एवं राजू गहलोत द्वारा आगे ग्राहको को 1600/– रूपये प्रति सिलेण्डर बेचने का व्यवसाय करना बताया गया। वक्त जॉच एल.पी.जी. टैंकर आर.जे. 18 जी.बी 4826 के पास जमीन पर 41 सिलेण्डर रखे पाये गये जिनमें 39 व्यवसायिक श्रेणी के एन.डी. एवं 02 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर होना पाये, जिनकी जॉच में 26 सिलेण्डर एन.डी. एवं 01 घरेलू सिलेण्डर गैस भरा होना पाया तथा 13 एन.डी. एवं 01 घरेलू सिलेण्डर खाली पाया। सिलेण्डरो की जॉच करने एवं तोल करवाये जाने पर सिलेण्डरो में कुल 500 किग्रा 300 ग्राम एल.पी.जी. भरा होना पाया। उक्त टैंकर एवं सिलेण्डरो के पास एक जुगाड पाईप दो इंच मोटाई का जिसमें एक और फ्लैंच व दूसरी ओर पांच रिफलिंग शॉकेट मय वाल्व फिटेड पाया गया तथा एक रिंच पाना, एक प्लेटफार्म कान्टा भी रखा पाया गया जो कि गैस सिलेण्डरो का वजन करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसी परिसर में एक कोने में बने कमरे में 07 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर लाल रंग के खाली रखे पाये है तथा सिलेण्डरो के साथ कमरे में एक प्लेटफार्म कान्टा, एक फिक्स पाना,

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति

रीडर
न्यायालय जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

एक रिंच पाना, एक पलाश, एक गैस भट्टी, एक हेयर ड्रायर एवं एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय केबल जुडा पाया गया। इसी परिसर में एक वाहन टैम्पों आर.जे.36 जी.ए 4399 जो राजकुमार गहलोत लेकर आया उसमें 26 एन.डी. सिलेण्डर रखे है कि जॉच करने पर सभी व्यवसायिक श्रेणी क्षमता 19.0 किग्रा होना पाया तथा सभी सिलेण्डर खाली होना पाया गया। वक्त जॉच से भारत पेट्रोलियम कम्पनी के अधिकारियों को सूचित करने पर उनके प्रतिनिधि श्री दिपेन्द्र डिप्टी मैनेजर प्लान्ट बी.पी.सी.एल लवेरा अजमेर मौके पर उपस्थित हुए तथा एल.पी.जी. टैंकर आर.जे. 18 जी.बी. 4826 की जॉच की तथा टैंकर में रखे दस्तावेज निकालकर जानकारी दी कि वाहन का मालिक प्रदीप गुप्ता ई 42, मंगोलपुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज 02, नई दिल्ली 110063 है तथा यह टैंकर मुन्द्रा एल.पी.जी. टर्मिनल गुजरात से दिनांक 11.12.22 को समय सुबह 6.10 बजे रवाना हुआ, जिसमें 17465 किग्रा एल.पी.जी. भरकर अजमेर एल.पी.जी प्लान्ट भारत पेट्रोलियम को सप्लाई के लिए रवाना हुआ जिसका वाहन चालक सुबेसिह पुत्र रामसिंह पता मैनपुरा सवाईमाधोपुर राजस्थान है, वक्त जॉच उपस्थित व्यक्तियों के पास एल.पी.जी. रिफलिंग, एल.पी.जी व्यवसाय एवं एल.पी.जी भण्डारण सम्बन्धी कोई अनुज्ञापत्र व अनुमति पत्र नहीं होना पाया गया तथा इनका यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के गैस रिफलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारण व जोखिमपूर्ण है जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रवल सम्भावना थी। वक्त जॉच अवैध गैस रिफलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर टैंकर संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 4826 को मय एलपीजी लगभग 17000 किलोग्राम कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से दिपेन्द्र डिप्टी प्लान्ट मैनेजर बी.पी.सी.एल अजमेर को प्लान्ट में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया तथा मौके पर पाये कुल 74 गैस सिलेण्डर है एवं गैस भरने का जुगाड यन्त्र, दो प्लेटफार्म कॉटे, दो रिंच पाने एक गैस भट्टी एवं इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, एक फिक्स पाना, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय केबल को कब्जेराज कर श्री शैलेन्द्र जांगिड, प्रोपराइटर जेठाना इण्डेन ग्रामीण गैस एजेन्सी को यथा सुपुर्दगी में दिये गये एवं मौके से एक टैम्पो आर.जे. 36 जी.ए 4399 राजकुमार गहलोत से एवं वाहन आर.जे. 01 सी ई 9127 एसकोस कार श्री नरेन्द्र जैन से जब्त कर पुलिस थाना मांगलियावास को सुरक्षित कस्टडी में रखवाई गयी। गैस सिलेण्डर निम्न पाए गए :–

क्र0सं0	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सील/अनसील्ड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टेसर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी. कि.ग्रा में	शुद्ध गैस का भार
1	012302	IOC	19.1	19.40	10.3
2	06923	BPCL	19	38.20	19.2
3	034464	BPCL	19.2	38.00	18.8
4	010968	BPCL	19.3	37.90	18.6
5	025418	BPCL	19.3	37.80	18.5
6	92122	BPCL	18.9	37.80	18.9
7	09415	BPCL	18.9	38.00	19.1
8	007040	BPCL	19.3	37.60	18.3
9	047854	BPCL	19.2	38.00	18.8

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

10	425936	BPCL	19.2	38.00	18.8
11	003499	BPCL	19.4	37.70	18.3
12	05889	BPCL	19.5	37.8	18.3
13	870573	BPCL	19.2	38.1	18.9
14	295596	BPCL	19.2	37.4	18.2
15	927140	BPCL	19.6	37.6	18
16	00813	BPCL	19.1	38	18.9
17	19463	BPCL	19.2	37.9	18.7
18	911416	BPCL	19.2	38	18.8
19	007690	BPCL	19	38	19
20	02580	BPCL	19.6	38	18.4
21	00985	BPCL	19.2	38.1	18.9
22	021320	BPCL	19.1	38	18.9
23	002443	BPCL	19.3	37.9	18.18.6
24	39117	BPCL	19.3	37.9	18.6
25	025758	BPCL	19	37.9	18.9
26	104258	BPCL	19.2	38	18.8
27	23958	BPCL	19.4	38.2	18.8
28	076529	IOC	19.2	19.4	0.2
29	034665	HPCL	19.6	20.7	1.1
30	74263	BPCL	19	19	NIL
31	012289	BPCL	19.3	19.3	NIL
32	94465	BPCL	19.5	19.5	NIL
33	013634	BPCL	19.4	19.4	NIL
34	011178	BPCL	19.1	19.1	NIL
35	0383359	BPCL	18.7	18.7	NIL
36	039589	BPCL	19.3	19.3	NIL
37	001115	BPCL	19.3	19.3	NIL
38	082442	BPCL	19	19	NIL
39	14253	HPCL	18	18.4	0.4
40	512622	IOCL	15.5	27.5	12
41	789606	BPCL	15.4	15.4	NIL
42	134469	BPCL	15.2	15.2	NIL
43	504295	HPCL	15.5	16	0.2
44	954026	IOCL	15.9	15	NIL
45	880291	IOCL	15.4	15.4	NIL
46	594689	IOCL	15.7	15.7	NIL
47	680139	IOCL	15.6	15.6	NIL
48	893529	IOCL	15.4	15.4	NIL
49	011564	IOCL	19.4	19.4	NIL

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति

रीडर
न्यायालय जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

50	156656	IOCL	19.3	19.3	NIL
51	4493	BPCL	19	19	NIL
52	07051	BPCL	19.1	19	0.1
53	975522	BPCL	19.7	19.7	NIL
54	016836	BPCL	19	19	NIL
55	03373	BPCL	19.3	19.3	NIL
56	141618	BPCL	19.1	19.1	NIL
57	10383	BPCL	19.5	19.5	NIL
58	0568	BPCL	19.2	19.2	NIL
59	011556	BPCL	19.7	19.7	NIL
60	0112591	BPCL	18.8	18.8	NIL
61	57889	BPCL	19.5	19.5	NIL
62	11802	BPCL	19.3	19.3	NIL
63	052741	BPCL	19.2	19.2	NIL
64	013658	BPCL	19.3	19.3	NIL
65	007148	BPCL	19	19	NIL
66	07300	BPCL	19.1	19.1	NIL
67	11629	BPCL	19.7	19.7	NIL
68	01188	BPCL	19.3	19.3	NIL
69	28971	BPCL	18.9	18.9	NIL
70	66001	BPCL	19	19	NIL
71	864916	BPCL	19.4	19.4	NIL
72	002025	IOCL	19.2	19.2	NIL
73	22415	HPCL	19	19	NIL
74	238596	IOCL	19.3	19.3	NIL
Total			1388.5	1887.7	500.3

इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4(1)(a)(b)(c)(d)(2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुद्वा 74 सिलेण्डरो मय 500 किलो 300 ग्राम एलपीजी, एक बीपीसीएल एलपीजी गैस टैकर मय लगभग 17000 किलोग्राम एल.पी.जी रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.18 जी.बी. 4826, एक टैम्पो रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 36 जी.ए 4399, एक 2 इंच मोटाई का जुगाड पाईप, 2 प्लेटफार्म कांटे, 2 रिच पाने, 1 गैस भट्टी, 1 इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, 1 फिक्स पाना एवं 1 इलेक्ट्रिक बोर्ड मय केबल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थीगण 3 के अभिभाषक ने अपनी बहस मे वाहन छोडने हेतु प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट कि अप्रार्थी संख्या 3 एलपीजी टेंकर का स्वामी है जिसे वाहन चालक अप्रार्थी संख्या 4 श्री सुबे सिह पुत्र श्री रामसिंह चलाता है और

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
सीआर
न्यायालय जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

वह ही उसकी देखभाल व साख संभाल करता है। उक्त वाहन के चालक द्वारा कोई अवैध कार्य कारित किया गया है तो वह मेरी जानकारी में नही है न ही मेरी सहमति के आधार पर किया जाता है। उसके द्वारा कोई वाहन से संबंधित कोई अपराधिक कार्य जानबूझकर किया जाता है तो वह स्वंय ही जिम्मेदार है। मैं उतरदायी नहीं हूं। यदि वाहन चालक वाहन स्वामी की अनुमति के बिना कोई ऐसा गैर कानूनी कार्यवाही करता है तो वह स्वयं उसके लिये उतरदायी है। मैनें किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया है अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी का कब्जे राज लिया गया एलपीजी टेंकर लौटाने के आदेश फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1,2,5 के प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर बहस करते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी संख्या 5 उपस्थित था इस कारण वहां से भाग जाने का प्रश्न ही नही उठता। जांच अधिकारी द्वारा बुलाने पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 तो दोपहर में भूख लगने के कारण टैम्पों खडा कर खाना खाने चला गया था। अप्रार्थी संख्या 2 मजदूरी व किराये पर सामान पहुँचाने का कार्य करता है यह भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 2 सिलेण्डर 1400/– रूपये में प्राप्त करके 1600/– रूपये में बेचता है अप्रार्थी संख्या 1 श्री नरेन्द्र जैन को जानता नहीं है। प्रकरण मनगढ बनाया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 5 को जानबूझ कर फसाया गया है। तथा टैंकर जिला रसद अधिकारी स्वयं कहीं से लेकर आये और ढाबे पर लाकर खडा किया और जबरदस्ती और दवाब में लेकर टैंकर में भर दिये तथा वक्त निरीक्षण एवं कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 मौके पर नहीं थे। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 पूर्व में इण्डियन कम्पनी कॉमर्शियल सिलेण्डर लेकर कार्य किये, कोरोना के समय से कार्य कम होने की वजह से काम बन्द करदिया था लेकिन खाली सिलेण्डर अप्रार्थी के पास ही थे जो अप्रार्थी ने अपने किराये पर लिए डाबे पर रखे थे। जिला रसद अधिकारी ने षडयंत्र कर अपने स्तर पर अप्रार्थी 1 व 2 के खाली सिलेण्डर टैंकर के पास रखवा दिये थे और बाद में अप्रार्थीगण को बुलाया गया तथा अप्रार्थी को बाद में बता गया कि सभी सिलेण्डर टैंकर के पास जमीन पर रखवा दिये है। अतः अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 5 को प्रकरण से मुक्त करावे साथ ही जब्त 50 खाली सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 1 को लौटाने व अप्रार्थी संख्या 2 का वाहन पुलिस थाना में वाहन को रखने की उचित व्यवस्था नहीं है । वाहन खराब होने का अंदेशा है। पुलिस तथा रसद विभाग ने वाहन का समस्त अनुसंधान कर लिया है। वाहन की पुलिस को आवश्यकता नहीं है। इसलिये प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 2 का वाहन सुर्पुदगीनामे पर छोडने के आदेश फरमावें।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रांवली में उपलब्ध फर्द दस्तावेजात, फर्द मौका एवं जप्ती, सुपुर्दगीनामा तथा अप्रार्थी की बहस में प्रकट तथ्यों पर विचार किये जाने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय के साथ–साथ मूल प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना भी न्यायोचित होगा। अतः मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी इसी आदेश से किया जा रहा है। दिनांक 12.12.22 को जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय प्रवर्तन स्टॉफ, एवं डी.एस.टी पुलिस दल अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच 8 होटल सहयोग ग्राम मांगलियावास के पास एल.पी.जी टैंकर से गैस सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच कार्यवाही की गयी जिसमें एक बडा एल.पी.जी. टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.18 जी.बी. 4826 भारत पैट्रोलियम कम्पनी के वाल्व से एक जुगाड यन्त्र से जोडकर एक साथ पॉच सिलेण्डरो में गैस भरते पाया गया। मौके पर उपस्थित पाये गए श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री कॅवरीलाल जैन, निवासी मागंलियावास ने यह स्थान किराये

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति

मिसल
न्यायालय जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

पर लेना एवं एल.पी.जी. टैंकर से गैस निकालकर सिलण्डरो मे रिफलिंग करना एवं गैस सिलेण्डरो को विक्रय करने का व्यवसाय करना पाया। इस कार्य में नरेन्द्र जैन के साथ उसका पुत्र कालू उर्फ अनुज जैन भी यह व्यवसाय करता है जो मौके पर जॉच दल को देखकर भाग गया। वरवक्त जांच मौके पर राजकुमार गहलोत उर्फ राजू गहलोत निवासी श्रृंगार चंवरी एक टैम्पों रजिस्ट्रेशन सख्या आर.जे. 36 जी.ए 4399 में 26 सिलेण्डर व्यावसायिक श्रेणी के क्षमता 19 किग्रा लेकर श्री नरेन्द्र जैन के पास भरवाने आया। वरवक्त जॉच एल.पी.जी. टैंकर आर.जे. 18 जी.बी 4826 के पास जमीन पर 41 सिलेण्डर रखे पाये गये जिनमें 39 व्यवसायिक श्रेणी के एन.डी. एवं 02 घरलू एल.पी.जी. सिलेण्डर होना पाये, जिनकी जॉच में 26 सिलेण्डर एन.डी. एवं 01 घरलू सिलेण्डर गैस भरा होना पाया तथा 13 एन.डी. एवं 01 घरेलू सिलेण्डर खाली पाया। सिलेण्डरो की जॉच करने एवं तोल करवाये जाने पर सिलेण्डरो में कुल 500 किग्रा 300 ग्राम एल.पी.जी. भरा होना पाया। उक्त टैंकर एवं सिलेण्डरो के पास एक जुगाड पाईप दो इंच मोटाई का जिसमें एक और फ्लैंच व दूसरी ओर पांच रिफलिंग शॉकेट मय वाल्व फिटेड पाया गया तथा एक रिंच पाना, एक प्लेटफार्म कान्टा भी रखा पाया गया जो कि गैस सिलेण्डरो का वजन करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसी परिसर में एक कोने में बने कमरे में 07 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर लाल रंग के खाली रखे पाये है तथा सिलेण्डरो के साथ कमरे में एक प्लेटफार्म कान्टा, एक फिक्स पाना, एक रिंच पाना, एक पलाश, एक गैस भट्टी, एक हैयर ड्रायर एवं एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय केवल जुडा पाया गया। इसी परिसर में एक वाहन टैम्पों आर.जे.36 जी.ए 4399 जो राजकुमार गहलोत लेकर आया उसमें 26 एन.डी. सिलेण्डर रखे है कि जॉच करने पर सभी व्यवसायिक श्रेणी क्षमता 19.0 किग्रा होना पाया तथा सभी सिलेण्डर खाली होना पाया गया। वक्त जॉच से भारत पेट्रोलियम कम्पनी के अधिकारियों को सूचित करने पर उनके प्रतिनिधि श्री दिपेन्द्र डिप्टी मैनेजर प्लान्ट बी.पी.सी.एल लवेरा अजमेर मौके पर उपस्थित हुए तथा एल.पी.जी. टैंकर आर.जे. 18 जी.बी. 4826 की जॉच की तथा टैंकर में रखे दस्तावेज निकालकर जानकारी दी कि वाहन का मालिक प्रदीप गुप्ता ई 42, मंगोलपुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज 02, नई दिल्ली 110063 है तथा यह टैंकर मुन्द्रा एल.पी.जी. टर्मिनल गुजरात से दिनांक 11.12.22 को समय सुबह 6.10 बजे रवाना हुआ, जिसमें 17465 किग्रा एल.पी.जी. भरकर अजमेर एल.पी.जी प्लान्ट भारत पेट्रोलियम को सप्लाई के लिए रवाना हुआ जिसका वाहन चालक सुबेसिह पुत्र रामसिंह पता मैनपुरा सवाईमाधोपुर राजस्थान है, वक्त जॉच उपस्थित व्यक्तियों के पास एल.पी.जी. रिफलिंग, एल.पी.जी व्यवसाय एवं एल.पी.जी भण्डारण सम्बन्धी कोई अनुज्ञापत्र व अनुमति पत्र नहीं होना पाया गया तथा इनका यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के गैस रिफलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारण व जोखिमपूर्ण है जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रवल सम्भावना थी। वक्त जॉच अवेध गैस रिफलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर टैंकर संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 4826 को मय एलपीजी लगभग 17000 किलोग्राम कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से दिपेन्द्र डिप्टी प्लान्ट मैनेजर बी. पी.सी.एल अजमेर को प्लान्ट में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया तथा मौके पर पाये कुल 74 गैस सिलेण्डर है एवं गैस भरने का जुगाड यन्त्र, दो प्लेटफार्म कॉटे, दो रिंच पाने एक गैस भट्टी एवं इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, एक फिक्स पाना, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय केवल को कब्जेराज कर श्री शैलेन्द्र जांगिड, प्रोपराइटर जेठाना इण्डेन ग्रामीण गैस एजेन्सी को यथा सुपुर्दगी में दिये गये एवं मौके से एक टैम्पो आर.जे. 36

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति

रीडर
न्यायालय जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

जी.ए 4399 राजकुमार गहलोत से जब्त कर पुलिस थाना मांगलियावास की सुरक्षित कस्टडी में रखवाई गयी।

इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4(1)(a)(b)(c)(d)(2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 74 सिलेण्डरो मय 500 किलो 300 ग्राम एलपीजी, एक 2 इंच मोटाई का जुगाड पाईप, 2 प्लेटफार्म कांटे, 2 रिच पाने, 1 गैस भट्टी, 1 इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, 1 फिक्स पाना एवं 1 इलेक्ट्रिक बोर्ड मय केबल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। साथ ही बीपीसीएल एलपीजी गैस टैंकर में भरी लगभग 17000 किलोग्राम एल.पी.जी का निस्तारण हेतु कब्जे राज लिये एल पी जी टेंकर में भरी हुई एलपीजी बी.पी.सी.एल कपंनी की सम्पति है जिसे बाटॅलिंग प्लान्ट लवेरा अजमेर को भिजवाई जानी है, वापस बी.पी.सी.एल कंपनी के प्लान्ट मैनेजर को लौटाते हुए निर्देश दिये जाते है कि उक्त एल.पी.जी गैस का नाप–तौल कर सुरक्षित खाली कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें। साथ ही कब्जेराज लिये सलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें तथा प्लाण्ट मैनेजर बी.पी.सी.एल लवेरा अजमेर सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर द्वारा गैस कम्पनी द्वारा निर्धारित TDG (Transporter Disiplinary Guidelines) के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाही करे एवं पालना से न्यायालय हाजा को अवगत करावें। जिला रसद अधिकारी उक्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे। प्रार्थी ने वाहन टैंकर सुपुर्दगीनामा पर देने के सबंध में वाहन टैकर नं0 आर.जे.18 जी.बी 4826 को अवैध गैस रिफलिंग पदार्थ कारोबार के परिवहन के उपयोग में लाये जाने कारण एवं अप्रार्थी संख्या 2 अवैध गैस भरवाने हेतु टेम्पो संख्या आर.जे. 36 जी.ए. 4399 के अधिहरण के आदेश दिये जाते है इसी क्रम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को जब्त वाहन टैकर नं0 आर.जे.18 जी.बी 4826, टेम्पो संख्या आर.जे. 36 जी.ए. 4399 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज जिला रसद अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिया जावें। राशि जमा नहीं कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जर्ये नीलामी निस्तारण किया जावे। सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 8/2023 एवं 06/2023 का निस्तारण इसी आदेश में किया गया है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
रीडर
न्यायालय जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर